रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 2019/ज्येष्ठ 11, 1941
No. 153] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 2019/JYAISTHA 11, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

(बागवानी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2019

सं. 11-7/2009-बागवानी II.—कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीपीए) का मूल रूप से रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में 1981 में गठन किया गया था, जिसने 1993 से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और बागवानी में प्लास्टिक के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित रीति से इसके कार्यों को केंद्रित करने के लिए एनसीपीए का राष्ट्रीय बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग समिति (एनसीपीएएच) के रूप में 2001 में पुनर्गठित किया गया था। तत्पश्चात एनसीपीएएच का दिनांक 01 जून, 2016 को 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व में पुनर्गठन किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत बागवानी में प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच) (एतदद्पश्चात समिति के रूप में संदर्भित) का पुनर्गठन किया जाए।

समिति का गठन एवं विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्न प्रकार से हैं :-

क. गठन:

1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	- अध्यक्ष
2.	कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	- उपाध्यक्ष

3.	सचिव (एसीएंडएफडब्ल्यू), डीएसीएंडएफडब्ल्यू	- सदस्य
4.	सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	-यथा-
5.	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर)	-यथा-
6.	सचिव, जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	-यथा-
7.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	-यथा-
8.	विशेष सचिव/अपर सचिव, बागवानी, डीएसीएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
9.	कृषि आयुक्त, डीएसीएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
10.	उप-महानिदेशक (बागवानी), आईसीएआर	-यथा-
11.	वित्त सलाहकार, डीएसीएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
12.	प्रधान सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	-यथा-
13.	संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), डीएसीएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
14.	प्रबंध निदेशक (एसएफएसी), नई दिल्ली	-यथा-
15.	संयुक्त सचिव (आरएफएस), डीएसीएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
	चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	
16.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), कर्नाटक सरकार	सदस्य
17.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), गुजरात सरकार	-यथा-
18.	कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब सरकार	-यथा-
19.	प्रधान सचिव (बागवानी), उत्तराखंड सरकार	-यथा-
	नाबार्ड के प्रतिनिधि	
20.	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुंबई	- सदस्य
	भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि	
21.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	- सदस्य
	सदस्य सचिव	
22.	बागवानी आयुक्त	- सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय

I. उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जल और सूर्य के प्रकाश जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के विशेष संदर्भ में सुनियोजित कृषि एवं कृषि में प्लास्टिक के उपयोग (प्लास्टिकल्चर) के जरिए बागवानी/कृषि विकास के संवर्धन में समन्वय स्थापित करना।

II. देश में सुनियोजित कृषि के जरिए हाई टेक बागवानी/कृषि को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतिगत उपाय संस्तुत करना।

III. सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती, जल संचयन संरचनाओं, फसलोंपरांत प्रबंधन आदि जैसी उत्पादन बढ़ाने वाली एवं जल की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों के जरिए बड़े स्तर पर सुनियोजित कृषि अपनाने की सुविधा प्रदान करना।

IV. अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन की सुविधा प्रदान करना एवं सुनियोजित कृषि प्रौद्योगिकियों में डेटाबेस तैयार करना।

V. प्लास्टिकल्चर में उपयोग होने वाले उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों के विकास में उचित कार्यनीतियों का सुझाव देना तथा इस क्षेत्र में ऐसे मानकों को उचित ढंग से अपनाया जाना सुनिश्चित करना।

VI. प्लास्टिकल्चर घटकों के संबंध में एमआईडीएच, पीएमकेएसवाई, (प्रति बूंद अधिक फसल), आरकेवीवाई, आदि जैसी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तरीके सुझाना।

VII. देश में सामान्य रूप से सुनियोजित कृषि विधियों तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के समग्र विकास तथा विशेष रूप से सुनियोजित कृषि विकास केंद्रों (पीएफडीसी) के निष्पादन की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण करना।

VIII. देश में सुनियोजित कृषि एवं प्लास्टिकल्चर के संवर्धन से जुड़ा अन्य कोई मामला।

एनसीपीएएच की अवधि संकल्प जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अध्यक्ष की सहमति से गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे। समिति की बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जाएगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

समिति को अपेक्षित अनुसचिवीय सहायता एनसीपीएएच के केंद्रीय समन्वय सैल द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशन लि. या अन्य उपयुक्त एजेंसी से लिए गए कार्मिक शामिल हैं। सदस्य सचिव द्वारा एनसीपीएएच के दैनिक कार्यकलापों की निगरानी की जाएगी और यह निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जिक्यूटिव) के रूप में कार्य करेंगे।

अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में इस प्रकार के व्यय की राशि को उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

डॉ. बी. एन. एस. मूर्ति, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER'S WELFARE

(Department of Agriculture Cooperation and Farmer's Welfare)

(HORTICULTURE DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2019

F. No. 11-7/2009-Hort.II.—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture & Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications in Horticulture, NCPAH was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was last constituted on 01.06.2016 for a period of three years. It has been decided to reconstitute National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred as the Committee) under the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare.

The composition and Terms of Reference (TOR) of the committee are as under:

A. Composition :

1.	Union Agriculture& Farmers Welfare Minister	- Chairman
2.	Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare	- Vice-Chairman
3.	Secretary (AC&FW), DAC&FW	- Member
4.	Secretary, Dept. of Chemicals & Petrochemicals	- do -
5.	Secretary (DARE) & DG (ICAR)	- do -
6.	Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	- do -
7.	Secretary, M/o Panchayati Raj	- do -
8.	Special Secy./Addl. Secretary, I/c of Horticulture, DAC&FW	- do -
9.	Agriculture Commissioner, DAC&FW	- do -
10.	Dy. Director General (Hort.), ICAR	- do -
11.	Financial Advisor, DAC&FW	- do -
12.	Principal Advisor (Agri.), Niti Aayog	- do -
13.	Joint Secretary (MIDH), DAC&FW	-do-
14.	MD (SFAC), New Delhi	-do-
15.	Joint Secretary (RFS), DAC&FW	-do-
	Representatives of four State Governments	
16.	Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Karnataka	Member
17.	Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Gujarat	- do -
18.	Agriculture Production Commissioner, Govt. of Punjab	- do -
19.	Pr. Secretary (Horticulture), Govt. of Uttarakhand	- do -
	Representative of NABARD	
20.	Chief General Manager, NABARD, Mumbai	- Member
	Representative of Bureau of Indian Standards	
21.	Director General Bureau of Indian Standards, New Delhi	- Member
	Member Secretary	
22.	Horticulture Commissioner	- Member Secretary

Terms of Reference

I. To coordinate in promotion of horticulture / agriculture development through precision farming & use of plastics in agriculture (Plasticulture) with special reference to harnessing available natural resources such as water and sunlight in improving the productivity and quality of the produce.

II. To recommend suitable policy measures for promotion of hi-tech horticulture / agriculture through precision farming in the country.

III. To facilitate increased adoption of precision farming through production enhancing and water saving technologies viz. micro irrigation, protected cultivation, water harvesting structures, post-harvest management, etc.

IV. To facilitate promotion of Research and Development and build data base in precision farming technologies.

V. To suggest suitable strategies in development of quality standards for products used in Plasticulture and ensure proper adoption of such standards in the field.

VI. To suggest ways and means for effective implementation of centrally sponsored schemes such as MIDH, PMKSY (per drop more crop), RKVY, etc. in relation to Plasticulture components in these schemes.

VII. To supervise and monitor effectively the performance of Precision Farming Development Centres (PFDCs) in particular and overall development of Precision Farming methods and hi-tech intervention in general in the country.

VIII. Any other matter connected with promotion of precision farming and Plasticulture in the country.

The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non-official members shall hold office during the pleasure of the Chairman. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The committee shall submit the report to the Government on annual basis.

The secretarial assistance required for the committee will continue to be provided by the Central Coordination cell of NCPAH consisting of personnel drawn from the erstwhile Indian Petrochemicals Ltd. or any other suitable agency. The Member Secretary will oversee the day to day activities and function as Chief Executive on the body.

The corresponding expenditure in respect of ex-officio member will be borne by their respective departments.

DR. B. N. S. MURTHY, Horticulture Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.01 15:20:39 +05'30'